

संख्या-17/42/13-प्रशासन  
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए,  
जीपीओ काम्प्लैक्स,  
आईएनए, नई दिल्ली  
दिनांक: 21.01.2020

कार्यालय आदेश

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 - केन्द्रीय सतर्कता आयोग में केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति।

आयोग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाए गए विषयों के संबंध में केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार) पदनामित किया जाता है:-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम तथा पदनाम	अनुभाग
i.	श्री सुधीर कुमार शर्मा, अनुभाग अधिकारी	सतर्कता-I - रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, स्वायत्तशासी निकाय, रेल मंत्रालय के अधीनस्थ/सम्बद्ध/सहयोगी कार्यालय, रेलवे के सभी पीएसयू
ii.	श्री मधुसुदन, अवर सचिव	सतर्कता- II - नागर विमानन मंत्रालय तथा इसके पीएसयू, पर्यटन मंत्रालय [आईटीडीसी सहित], सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा इसके पीएसयू [एनएचएआई]
iii.	श्री मुकुंद माधव, अनुभाग अधिकारी	सतर्कता- II [सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा इसके पीएसयू, डाक विभाग, पोत परिवहन मंत्रालय [पीएसयू, पत्तन न्यास आदि सहित]], दूरसंचार विभाग
iv.	श्री पी.एस. जेकब, अनुभाग अधिकारी	सतर्कता- III
v.	श्री मधुकर नारायण, अनुभाग अधिकारी	सतर्कता-IV [सीबीडीटी, आर्थिक कार्य विभाग, राजस्व विभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, ऋण वसूली प्राधिकरण, सेबी और यूटीआई आदि] सतर्कता- V [सीबीआईसी]
vi.	श्री सुनील कुमार, अनुभाग अधिकारी	सतर्कता-VI - इस्पात मंत्रालय, उर्वरक विभाग, औषध विभाग, अंतरिक्ष विभाग, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, परमाणु उर्जा विभाग, इलैक्ट्रानिक्स विभाग, नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय तथा इसके पीएसयू, कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय
vii.	श्री रंजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी	सतर्कता-VI - रसायन और पैट्रारसायन मंत्रालय, खान मंत्रालय, औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग, वाणिज्य विभाग, सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय तथा इसके



		पीएसयू, वस्त्र विभाग, भारी उद्योग विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय सीएसआईआर/डीएसआईआर
viii.	श्रीमती सुनेजा जनार्दन, अनुभाग अधिकारी	सतर्कता-VII - श्रम और रोजगार मंत्रालय (ईपीएफओ और ईएसआईसी सहित), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय(एमसीआई, एआईआईएमएस), आयुष मंत्रालय(सीसीआरए, सीसीआरएच आदि), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, महिला और बाल विकास विभाग, वाणिज्य विभाग (आपूर्ति मंडल), डीजीएसएंडडी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, योजना आयोग, संस्कृति मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय तथा उनके स्वायत्त संगठनों तथा उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रम, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, डीएआरई (आईसीएआर) ग्रामीण विकास मंत्रालय(कपार्ट), कृषि एवं सहकारिता विभाग, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग तथा उनके स्वायत्त संगठनों तथा उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रम।
ix.	श्री बाबी नारायण, अनुभाग अधिकारी	सतर्कता-VII-उपभोक्ता मामले विभाग(बीआईएस), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग(एफसीआई, सीडब्ल्यूसी आदि), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, युवा कार्य मंत्रालय (एसएआई) तथा उनके स्वायत्त संगठनों तथा उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध संस्थान।
x.	श्री राजकुमार, अवर सचिव	सतर्कता-VIII [राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, एनबीसीसी, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, डीटीटीडीसी, हुडको, डीयूएसआईबी, एचपीएल, डीटीसी]
xi.	श्री चन्दर सेन, अनुभाग अधिकारी	सतर्कता-VIII [डीडीए, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड, डी.एस.आई.आई.डी.सी., डीटीएल, आईपीजीसीएल, दिल्ली पुलिस]
xii.	श्री सुरेश पाल, अनुभाग अधिकारी	सतर्कता-IX- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती, केन्द्रीय भंडार, राज्य सरकारों से संबंधित शिकायतें



xiii.	श्री पी.वी.आर. कृष्ण, अनुभाग अधिकारी	सतर्कता-IX-रक्षा मंत्रालय, आईडीएस तथा उनकी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उद्यमों/स्वायत्त संगठन, एआरएंडपीजी, डीओपीएंडटी, सीबीआई, मंत्रिमंडल सचिवालय, एसएससी, अर्धसैनिक बलों सहित गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राजभाषा विभाग, प्रधानमंत्री कार्यालय, निर्वाचन आयोग, एनटीआरओ, नियंत्रक-महालेखा परीक्षक, विधि एवं न्याय मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, संघ शासित प्रदेश तथा उनकी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उद्यम
xiv.	श्री अरविन्द कुमार, अवर सचिव	समन्वय- ।
xv.	श्री अनिर्बन बिस्वास, अवर सचिव	समन्वय- ॥ एवं शिकायत अनुभाग
xvi.	श्री पी के महान्ती, अवर सचिव	समन्वय- ॥ [मुख्य सतर्कता अधिकारियों का चयन और नियुक्ति, मु.स. अधिकारियों की वार्षिक रिपोर्ट, मु.स. अधिकारियों के सतर्कता मामले]
xvii.	श्री आशुतोष तिवारी, अनुभाग अधिकारी	प्रशासन अनुभाग
xviii.	श्री धीरज पाण्डेय, अनुभाग अधिकारी	खरीद एवं निविदा
xix.	श्री अमरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी	सामान्य अनुभाग
xx.	मो0 इरशाद हसन, अनुभाग अधिकारी	रोकड़ अनुभाग
xxi.	श्री आर सोंगटे, अनुभाग अधिकारी	आरटीआई अनुभाग
xxii.	मो0 शहनवाज आलम, अनुभाग अधिकारी	गोपनीय अनुभाग

2. यह आदेश उपर्युक्त विषय पर जारी पहले के सभी आदेशों की जगह लेगा।



(टी.पी. शर्मा)

विशेष कार्य अधिकारी (प्रशासन)

संबंधित केन्द्रीय सहायक लोकसूचना अधिकारी

प्रति:

- 1- अवर सचिव (एवीडी-III)  
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग  
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- 2- रजिस्ट्रार  
केन्द्रीय सूचना आयोग  
बी विंग, दूसरा तल, अगस्त क्रान्ति भवन,  
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066
- 3- सभी संबंधित केन्द्रीय लोकसूचना अधिकारी